(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2707–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–6–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 2/अपील/2013–14.

श्रीमती चन्द्रकांता राठी पत्नी श्री राधेश्याम राठी,
निवासी सराफा बाजार लश्कर ग्वालियर

.....आवेदिका

विरूद्ध

1–श्रीमती जानकीदेवी झवर पत्नी स्व0दामोदर दास झवर
निवासी सराफा बाजार लश्कर ग्वालियर
2–श्रीमती प्रतिभा दुसेजा पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश दुसेजा
निवासी अब्दुल साहब का बाड़ा, निम्बालकर की गोठ, लश्कर,
ग्वालियर
3–भरत झवर पुत्र स्व.दामोदर दास झवर
4–सुदर्शन झवर पुत्र स्व.दामोदर दास झवर
5–श्रीमती स्मिता झवर पत्नी री सुदर्शन झवर
6–श्रीमती अलका झवर पत्नी श्री भरत झवर
निवासीगण सराफा बाजार लश्कर ग्वालियर
7–श्रीमती उर्वसी साबू पुत्री श्री मुकुन्द साबू
निवासी साबू भवन नया बाजार लश्कर ग्वालियर
8–श्रीमती उषा राठी पत्नी राधामोहन राठी
9–श्री राधेश्याम राठी पुत्र श्री विशम्भर राठी
10–श्रीमती प्रीती राठी पत्नी श्री प्रशान्त राठी
11–प्रशांत राठी पुत्र श्री राधामोहन राठी
निवासीगण सराफा बाजार लश्कर ग्वालियर
12–श्री मुकुन्द साबू पुत्र श्री देवीप्रसाद साबू
निवासी साबू भवन नया बाजार लश्कर ग्वालियर
13–जे0पी0झा पुत्र श्री वासुदेव झा
14–ओमप्रकाश पुत्र श्री शंकरदास कत्याल
15–अजय कत्याल पुत्र ए0पी0कात्याल
16–संजय कत्याल पुत्र ए0पी0कत्याल
17–मनीष कत्याल पुत्र श्री ए0पी0कत्याल
18–श्वेता पुत्री श्री पी0व्ही0सेसाद्री
निवासीगण नई दिल्ली

.....अनावेदकगण

श्री अजय शर्मा, अभिभाषक, आवेदिका
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 व 2
श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 7 लगायत 12
श्री एल0एस0धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 13 लगायत 18

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/6/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 30–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा ग्राम महाराजपुरा रमन्ना तहसील वह जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 205 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा कय की जाकर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 151/11–12/अ–6 दर्ज किया जाकर दिनांक 10–9–2012 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–9–2013 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–6–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर निर्देश दिये गये कि केतागण चाहे तो नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है और आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तहसील न्यायालय विकेतागण को सूचना पत्र जारी करते हुये सुनवाई का अवसर देते हुये नामान्तरण की कार्यवाही करें । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि नामान्तरण कार्यवाही में विकेतागण को आवेदिका का नामान्तरण किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । यह भी कहा गया

कि अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा नामान्तरण के संबधं में अंतिम निराकरण नहीं कर अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकय पत्र से कय की गई है जिसमें विकेता को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी स्थिति में अन्य केता आपत्ति नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके हित प्रभावित नहीं हुये है । अंत में तर्क में प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण को अपील प्रस्तुत करने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि वे प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में हितबद्ध पक्षकार नहीं थे और न ही वे हितबद्ध पक्षकार है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही में हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई है । यह भी कहा गया कि कि बिना विकेतागण को सूचना दिये यह कैसे मान लिया जाये कि विकेता को नामान्तरण में कोई आपत्ति नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि में कौन कौन व्यक्ति हितबद्ध पक्षकार है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 7 लगायत 12 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त रूप से कय की गई है और संयुक्त रूप से ही तहसीलदार द्वारा नामान्तरण आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है, अतः तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

6/ अनावेदक कमांक 13 लगायत 18 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण कार्यवाही में विकेतागण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी व अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

7/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा

नामान्तरण कार्यवाही में विकेताओं को विधिवत् सूचना नहीं दी गई है, जबकि वे प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरण आदेश वैधानिक प्रकिया के अनुरूप नहीं है और ना ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विकेतागण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश भी विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है, अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में तो किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, परन्तु उनके द्वारा प्रकरण समाप्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिये इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विकय पत्रों को ध्यान में रखकर विधिनुसार प्रकरण का निराकरण किया जाये ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 30–6–2014 स्थिर रखा जाकर उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण तहसीलदार को निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.